राजस्थान विधान सभा

८८वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक २१ अक्टूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०७३

सन् १९५३-५४ में विकास कार्य के लिए भीलवाड़ा में व्यय की गई रकम

श्री कस्तूरचन्द—क्या मन्त्री, विकास व योजना विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाड़ा में डेवलपमेंट वर्क्स के लिए १९५३-५४ में कितनी रकम दी गई थी ?

(ख) जिला भीलवाड़ा में जनता की तरफ से शिक्षा भवन कितनी लागत के बना कर सरकार को दिये गये हैं और वे कहां-कहां हैं ?

(ग) शेष अधूरे काम को पूरा कराने में सरकार क्या विचार रखती है ?

(घ) क्या यह सही है कि बनेड़ा हाई स्कूल की डेढ़ लाख रुपये की इमारत करीब दस हजार रुपये लगाये बिना खराब हो रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—भीलवाड़ा जिले में डेवलपमेंट वर्क्स (स्थानीय विकास कार्यों) के लिए सन् १९५३-५४ में रु० ५०,६०० स्वीकृत हुए।

(ख) जनता की तरफ से सरकार को कोई शिक्षा भवन बनाकर नहीं दिया गया है ?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नहीं।

श्री तेजमल बापना—उसमें से कितने रुपये खर्च हुए ?

श्री जयनारायण व्यास—उसमें से १०,१०६ रु० ७ आ० खर्च हुए।

श्री रामदयाल—क्या मुख्य मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि ५०,६०० रु० में १० हजार रुपये ही क्यों खर्च हुए ?

श्री जयनारायण व्यास—क्योंकि जो बराबर का शेयर जनता को देना था वह नहीं दिया, इसलिए इतने ही रुपये खर्च हुए।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि जनता ने अपनी तरफ का सारा काम कर दिया और सरकार की तरफ से रकम नहीं दी गई। कई बार डेपुटेशन आपसे और दूसरे मन्त्रियों से भी मिले और यह आश्वासन दिया गया कि रुपये शीघ्र मिलेंगे, फिर भी क्यों नहीं मिले ?

श्री जयनारायण व्यास—सम्भव है इसमें आपको कुछ गलतफहमी हो। वही काम करना चाहिए जो काम डेवलपमेंट कमेटी मंजूर करे। जनता ने यदि उसी के अनुसार काम किया है तो उसको हिस्सा जरूर मिला होगा या मिलेगा, लेकिन ये १० हजार रुपये उन्हीं कामों के लिए मिले हैं जो डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूर किये हैं। यदि दूसरे काम हुए हैं तो पी. डब्ल्यू. डी. विभाग से लिखा-पढ़ी करनी चाहिए।

श्री रामदयाल—क्या आप तहसीलवाइज़ बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस तहसील में कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस समय तो तहसीलवाइज़ नहीं बता सकता, डिस्ट्रिक्टवाइज़ ही बता सकता हूँ। लेकिन यदि आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो तहसीलवाइज़ और गांववाइज़ भी बता सकता हूँ।

श्री रामदयाल—क्या मुख्य मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि ये ५० हजार रुपये लेप्स केवल सरकार की ढ़िलाई की वजह से ही हो गये ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे ख्याल से जनता द्वारा पैसा देने की ढ़िलाई की वजह से ही लेप्स हो गये।

श्री तेजमल बापना—क्या यह पैसा देने की ढ़िलाई···

श्री अध्यक्ष—उत्तर दे चुके हैं।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि बनेड़ा की जनता द्वारा स्कूल भवन का निर्माण किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—किया गया है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन डेवलपमेंट कमेटी की राय से किया गया हो ऐसी बात नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या भारत सरकार द्वारा ऐसा आदेश कि डेवलपमेन्ट कार्य की ५० प्रतिशत रकम पानी की समस्या हल करने में लगाई जानी चाहिए ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हां, लेकिन भारत सरकार को हमने लिखा है कि जहां आवश्यकता हो वहां इस शर्त को रिलेक्स भी करना चाहिये। जैसे चित्तौड़ में पानी की कोई समस्या नहीं है। भारत सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री रामदयाल—क्या यह सही है कि बहुत सा कार्य डेवलेपमेंट कमेटी की राय से हुआ है और फिर भी पैसा नहीं मिला ?

श्री जयनारायण व्यास—जो कार्य कमेटी की राय से हुआ है उसमें पैसा मिला है और यदि नहीं मिला है तो मिलेगा माननीय सदस्य मुझे बतायें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वश्चन, श्री चांदमल मेहता।

श्री कस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने हैं ?

श्री अध्यक्ष—और लोग पूछ लेते हैं और आप रह जाते हैं आप को भी खड़ा होना चाहिए।

श्री कस्तूरचन्द—मैं खड़ा हुआ था लेकिन बीच में ही दूसरे लोग खड़े हो गये। क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनेड़ा स्कूल को इमारत डेवलेपमेंट में नहीं आई ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य खुद बता रहे हैं कि बनेड़ा की इमारत में डेढ़ लाख रुपये खर्च हुए हैं, हालांकि वह इतने की नहीं होगी। यह इमारत पी. डब्ल्यू. डी. की मारफत बन रही है। डेवलोपमेंट का काम अधिक-से-अधिक २० हजार का होता है इससे ज्यादा का नहीं होता। हजार-दो-हजार ऊपर नीचे भी हो सकते हैं।

श्री कस्तूरचन्द—हम तो डेढ़ लाख की मांग नहीं कर रहे हैं केवल १० हजार रुपयों की मांग कर रहे हैं।

श्री जयनारायण व्यास—डेवलेपमेंट के अन्तरगत जो कार्य होते हैं वे अधिक से अधिक २० हजार रुपयों के विकास कार्य होने चाहिए। डेढ़-डेढ़ लाख रुपयों की इमारत में २० हजार या

[श्री जयनारायण व्यास]

१० हजार रुपये देने की हमारी योजना नहीं है। इसलिए बनेड़ा की स्कूल की इमारत पी. डब्ल्यू. डी. के हाथ में है, डेवलोपमेंट के हाथ में नहीं है।

श्री तेजमल बापना—बकाया रकम की कब तक मंजूरी दी जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—मंजूरी दी जा चुकी थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया।

प्रश्न संख्या २०७४

किशनगढ़ पॉवर हाउस में कर्मचारियों के रिक्त स्थान

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) किशनगढ़ पॉवर हाउस में कितने कर्मचारियों के स्थान रिक्त हैं ?

(ख) उक्त स्थान कितने वर्षों से रिक्त हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) एक का भी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न के पूछने के बाद क्या कोई रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं पहले जवाब दे चुका हूं।

श्री चांदमल मेहता—रिक्त तो नहीं है पर प्रश्न पूछने के बाद भी रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे सामने तो प्रश्न आज ही आया है मैं नहीं कहता हूं कि कोई स्थान खाली रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सैंक्शन्ड स्ट्रेन्थ कितनी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस समय वह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अक्टूबर में कितने एपोइन्टमेंट किये गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जवानसिंह—कब से कोई स्थान रिक्त नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सारी हिस्ट्री पॉवर हाउस की मेरे पास नहीं है।

श्री जवानसिंह—तो फिर किस आधार पर आपने बताया कि कोई स्थान खाली है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास सूचना आई है।

श्री जवानसिंह—कब से नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप कोई डेफिनेट सवाल पूछिये न कि आप क्या चाहते हैं।

श्री जवानसिंह—आप भी डेफिनिट जवाब दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपका यह जवाब कि स्थान रिक्त नहीं है, यह आज से या कौन सी तारीख से पहले लागू गिना जायगा कि स्थान रिक्त नहीं है ?

(कुछ क्षणों की निस्तब्धता के अनन्तर)

एक माननीय सदस्य—ऐसे प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

प्रश्न संख्या २०७५

जालौर जिले के पटवारियों को वेतन मिलने में विलम्ब

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जालोर जिले में कुल कितने पटवारी हैं और उनके क्या ग्रेड हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे पटवारी हैं जिनके ५ माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हें तनख्वाह न मिलने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जालोर जिले में कुल ९७ पटवारी हैं। पटवारियों के ग्रेड ४०-१-५५ के हैं।

(ख) एक महादेव पटवारी को तनख्वाह नहीं मिली है पे बिल गलत Head में लगा देने से पास नहीं हो सकी है। अब तनख्वाह सही हैड में चार्ज करने के लिए कमिश्नर जोधपुर को दुबारा आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या जालोर जिले की जागीरें जब्त हुई हैं वहां पटवारी भेज दिये गये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस तरह के आदेश दे दिये गये हैं, पटवारी वहां पहुंचे हैं कि नहीं यह मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री सन्तोषसिंह—आपने फरमाया कि गलत हैड में आ गई सो कौन से महीने से गलत हैड में चार्ज की गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—समझा नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—आपने कहा कि गलत हैड में तनख्वाह चली गई...

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member seems not to be serious about the question.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—He seems to be confused.

श्री सन्तोषसिंह—तनख्वाह नहीं देने का कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष—उत्तर स्पष्ट है, आपने सुना नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—कब से है।

श्री अध्यक्ष—इसको स्वीकार किया है कि ५ माह से।

श्री सन्तोषसिंह—कब से हुआ?

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन में लिखा है।

एक माननीय सदस्य—यह हैड ही गलत रखा है साहब।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—It is all right, if the member takes it as a joke.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Holyday mood.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पटवारियों के ग्रेड रिवाइज़ करने का सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—यह जालोर के पटवारियों के सम्बन्ध का प्रश्न है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०७६

सिरोही जिला अथवा तहसील को कमी वाला क्षेत्र घोषित करना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Revenue be pleased to state :

(a) Whether the Government has declared Sirohi District of Sirohi Tehsil as a scarcity area.

(b) If not, is the Govemmeut contemplating to do so ?

(c) Is the Goverament aware of the huge loss of crops in Sirohi Tehsil on account of locusts this year.

(d) If so, what steps are proposed by the Government for the relief of the Agriculturists suffered by locusts ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अ) जी नहीं।

(ब) इस विषय में जिला अधिकारियों की रिपोर्ट्स आने पर विचार किया जायगा।

(स) जी हां, परन्तु पिछली वर्षा से स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस बारे में कुछ हद तक छूट देने का सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०७७

डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के रिक्त स्थान को पुनः भरना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.8

[श्री चांदमल मेहता]

(क) डाइरेक्टर ऑफ माइन्स का स्थान कितने साल से रिक्त है ?

(ख) क्या डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के स्थान के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये थे ?

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ माइन्स का सिलेक्शन स्थगित कर दिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) डाइरेक्टर ऑफ माइन्स एण्ड ज्योलोजी का पद स्थाई रूप से दिसम्बर, सन् १६४६ से रिक्त है, किन्तु उस स्थान पर अस्थाई प्रबन्ध तभी से चला आ रहा है।

(ख) हां।

(ग) १५ जून, सन् १९५४।

(घ) हां।

(ङ) भारत सरकार के द्वारा किसी योग्य अफसर की सेवायें डेपूटेशन के आधार पर लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और जब तक इस सम्बन्ध में निर्णय न हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को इस विषय में कार्यवाही स्थगित रखने के लिए लिखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—इतने लम्बे समय तक स्थान रिक्त रहने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—जो मौजूदा अफसर इस काम पर लगे हुए हैं उनकी योग्यता में कोई कसर नहीं है पर उनके अनुभव में कसर समझी गई थी, इसलिए यह स्थान अभी तक रिक्त रखा गया था। इसके बाद भारत सरकार से लिखा पढ़ी की गई और भारत सरकार व राजस्थान सरकार के बीच लिखा पढ़ी जारी है।

श्री वेदपाल त्यागी—५ वर्ष से जो अफसर काम कर रहे हैं क्या उनको अब भी तजुर्बा नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—उनको तजुर्बा हुआ है, उनका नाम भी विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पी. एस. सी. की बगैर मंजूरी के या सलाह के राजस्थान सरकार द्वारा ओफिशियेटिंग अपोइन्टमेंट की अवधि कितनी रखी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—सन् १९४७ से कार्य स्थाई रूप से चल रह है पर अनुभव की कमी की वजह से यह स्थान रिक्त रखा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार जो स्थान रिक्त रखा गया है उसको टेम्परेरी तौर पर बिना पी. एस. सी. की मंजूरी या सलाह के रिक्त रखने की अवधि क्या है ?

श्री अध्यक्ष—That is a matter of rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—६ महीने की अवधि की हुई है।

श्री अध्यक्ष—But when the Hon'ble Member knows the reply, it should not be asked here.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know whether the Government takes notice of this rule or not

श्री अध्यक्ष—Then ask a direct question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब ६ महीने पी. एस. सी. की बगैर मंजूरी के या सलाह के कोई ओफिशियेटिंग अरेंजमेंट टेम्परेरी तौर पर नहीं रखा जा सकता तो क्या यह स्थान पी. एस. सी. की मंजूरी से रिक्त रखा गया है या बगैर मंजूरी के ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस बारे में नोटिस चाहूंगा और पता चलाऊंगा कि इस केस में पी. एस. सी. की सलाह या मंजूरी ली गई या नहीं।

श्री चांदमल मेहता—एक तरफ तो यह कहा गया कि आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये और दूसरी तरफ यह कहा गया कि यह इसलिए स्थगित किया गया कि लोन सर्विस पर लिया जावे तो यह विचार आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के बाद पैदा हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—यह पहले से था, पर आवेदन पत्र मंगाने का नोटिस निकाला तो गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात लाई गई कि जो विज्ञापन निकाला है उसमें जो योग्यता बताई गई है, जैसा अनुभव बताया है वह ठीक नहीं बैठता है। इसमें जो योग्यता बताई गई है उससे कितनी ही ज्यादा योग्यता मौजूदा अफसर में हैं और उससे नीचे काम करने वालों में भी यह

[श्री जयनारायण व्यास]

योग्यता मिल सकती है। इसलिए यह स्थगित रखा गया। उसमें जो २० वर्ष का अर्सा बताया गया था उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट के ध्यान में यह लाया गया कि इन्फोर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने भी १५ वर्ष की अवधि मुकर्रर की है, ऐसी सूरत में इसमें रखी गई २० वर्ष की अवधि ठीक नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और पहले की भूल सुधार के लिए लिखा पढ़ी हुई। जो अफसरों के नाम आये थे वे सुटेबल नहीं थे। इनको ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लिख दिया कि उनके पास योग्य देने के लायक ऑफिसर्स नहीं हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—भारत सरकार ने उनके नाम दिये और राजस्थान सरकार ने उन्हें योग्य नहीं समझे और अब इस पर आगे भी कुछ सरकार विचार कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान में ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति मौजूद हैं फिर भारत सरकार से लोन पर लाने का क्या तात्पर्य है ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य के ध्यान में एक व्यक्ति है और उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है जिनकी योग्यता विज्ञापन के अनुसार है और २० वर्ष का अनुभव भी लेकिन उस व्यक्ति को एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मुकर्रर करना पी० एस० सी० ने वाजिब नहीं समझा। इसके अलावा कोई योग्य व्यक्ति हमें नहीं जंचता।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय ने पी० एस० सी० के निर्णय को देखा भी है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—उसका उपयोग करके ही उत्तर दे रहा हूँ और मेरे माननीय मित्र को इस पर विश्वास होना चाहिये कि जो जवाब दिया जारहा है वह उचित है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार इस रिक्त स्थान की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास—शीघ्रातिशीघ्र, जब योग्य व्यक्ति मिल जावेंगे और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक··

श्री अध्यक्ष—विलम्बातिविलम्ब···

श्री जयनारायण व्यास—विलम्बातिविलम्ब हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मौजूदा डाइरेक्टर की वजह से इस विभाग का काम दिनोंदिन खराब होता जारहा है, सरकार को मालूम है ?

श्री जयनारायण व्यास—कहीं कहीं खराब हो सकतो है तो कहीं अच्छी हालत होरही है और यह डाइरेक्टर की जिम्मेवारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रूल्स के अनुसार कितने दिनों तक विलम्बातिविलम्ब की बात चल सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०७८

राजस्थान निर्माण के पश्चात् सरकार के विरुद्ध कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी सिविल सूट्स

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस वर्ष में कितने कितने सिविल सूट्स राज्य सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारियों ने तनख्वाह के रुपये दिलाने के लिए दायर किये ?

(ख) उक्त मुकदमो में कितने सरकार के खिलाफ फैसले हुए ?

(ग) कितने मुकदमे अभी तक पेंडिंग हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (कानून मन्त्री)—(क) राजस्थान निर्माण के पश्चात् तनख्वाह के रुपये दिलाने के लिए कुल १६ मुकदमे दायर हुये जो निम्न प्रकार हैं—

सन् १६५०	१
सन् १६५१	३
सन् १६५२	४
सन् १६५३	७
सन् १६५४	४

Page No.12

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) उक्त मुकदमों में से केवल पांच सरकार के विरुद्ध फैसले हुये और एक में अदालत के बाहर सरकार ने तस्फिया करके २७५ रु० बतौर कम्प्रोमाइज़ दे दिया। जो पांच मुकदमे खिलाफ फैसले हुये उनमें से तीन में अपीलें दायर करदी गई हैं। तीन मुकदमें डिसमिस हुये और एक मुदई द्वारा वापिस ले लिया गया।

(ग) इस समय ६ मुकदमे पेंडिंग में हैं।

श्री चांदमल मेहता—कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गई इसलिये सरकार पर दावा किया गया। सरकार उनको तनख्वाह देने का प्रबन्ध क्यों नहीं करती और ऐसा मौका क्यों दिया जाता है?

उन लोगों को दावा करने का मौका ही क्यों दिया जाता है। पहले से ही उनको तनख्वाह देने का इन्तजाम क्यों नहीं कर दिया जाता?

श्री टीकाराम पालीवाल—ये डिस्प्यूटेड़ क्लेम्स थे।

श्री चांदमल मेहता—जो फैसले सरकार के खिलाफ हुये उनमें क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—आप यह प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—जो फैसले सरकार के खिलाफ हुये उनकी अपील की गई है।

श्री चांदमल मेहता—तीन में अपील की गई, बाकी का क्या हुआ?

श्री टीकाराम पालीवाल—५ फैसले सरकार के खिलाफ हुए उनमें से ३ में अपील की गई।

श्री चांदमल मेहता—बाकी दो के कारण बताये जावें।

श्री टीकाराम पालीवाल—आप चाहें तो आपको उन जजमेंटों की कोपी दे दी जावेगी। आप उसको देख सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें डिलेड पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट के कितने केसेज़ हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—वे क्लेम्स डिस्यूटेड क्लेम्स थें।

प्रश्न संख्या २०७६

दादिया (त० अराई) को किशनगढ़ से सड़क द्वारा मिलाना

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि दादिया ग्राम (तहसील अराई) सड़क द्वारा किशनगढ से मिला हुआ नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि दादिया ग्राम के समीप भोड़ल की महत्वपूर्ण खानें हैं ?

(ग) उक्त भोड़ल की खानों के विकास की दृष्टि से क्या सरकार दादिया ग्राम को किशनगढ़ से सड़क द्वारा मिलाने का विचार रखती है ?

घ) यदि हां, तो कब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) (क) सही है।

(ख) भोड़ल की खान है विशेष विवरण खान कार्यालय द्वारा मिल सकता है।

(ग और घ) अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। द्वितीय पंच वर्षी योजना बनाते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०८०

ग्राम मेरासी (त० परवतसर) में चरागाह की कमी

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम मेरासी तहसील, परबतसर में चारागाह की कमी है ?

(ख) क्या परबतसर तहसील के सेटिलमेंट के समय इस गांव में गोचर भूमि के पचें दे दिये गये थे ?

(ग) क्या गोचर भूमि में काश्त न करने के सम्बन्ध में असिस्टेन्ट कलेक्टर ने आदेश दे दिये हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) क्या असिस्टेन्ट कलेक्टर के आदेश होने के बाद भी गोचर भूमि में काश्त हुई है ?

(ड) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(च) जिस गोचर भूमि के पर्चे दे दिये गये हैं उन्हें केन्सिल कर उसे गोचर भूमि कब तक घोषित करदी जायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं इसका उत्तर बाद में देना चाहता हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी तक पूरे उत्तर नहीं आये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस सिलसिले में मैं एक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस मेटर को ज्यादा समय लगने की गुंजायश हो उसके लिए माननीय अध्यक्ष इजाजत दे सकते हैं। मगर क्वेश्चन कॉल आउट करने के बाद फिर इस प्रकार की अवधि मांगना कहां तक सही है ? इसके बारे में आपके आदेश जारी किये गये थे उसका पालन क्यों नहीं किया जारहा है ?

श्री अध्यक्ष—समय तो मांग ही सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले ही मांगना चाहिये था। यह क्वेश्चन काल आउट हो चुका है इसलिए उत्तर देना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह ठीक है कि समय पहले ही मांग लिया जाना चाहिये था, मगर मैंने इस आशा से कि इसका उत्तर आजावेगा, टेलीफोन से उनको कोन्टेक्ट किया मगर फिर भी जवाब नहीं आया इसलिए पहले समय नहीं मांगा गया।

श्री अध्यक्ष—On equestion was Tabled on the 30 September and that was also answerd Next.

प्रश्न संख्या २०८१

श्री माधव प्रसाद एन० पण्डित।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०८२

किशनगढ़ के मदन मोहनलालजी के मन्दिर के ट्रस्टी

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ के मदनमोहनलालजी के मन्दिर के लिए ट्रस्टी मुकर्रर हैं ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(ग) उन ट्रस्टियों के अधिकार क्या क्या हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मन्त्री)—(क) (ख) मदन मोहनलालजी का मन्दिर किशनगढ़ के ट्रस्टी के व्यक्तियों के नाम:-

(१) श्री बृजमोहनलाल कल्ला, (२) श्री श्यामसुन्दर जोशी (३) श्री मदनलाल तिवाड़ी, (४) कामदार ठिकानेजात, देवस्थान विभाग ।

(ग) मन्दिर के प्रबन्ध व सेवा पूजा का कार्य देवस्थान विभाग के सुपुर्द है । उपरोक्त ट्रस्ट परामर्श का कार्य करता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मन्दिर के सारे कागजात वगैरह देवस्थान विभाग के चार्ज में ही हैं इसलिए मन्दिर के ट्रस्टीज़ को काम करने में दिक्कत होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, यह सही है कि उसके कागजात देवस्थान विभाग के पास है क्योंकि अभी तक ट्रस्टियों ने काम करना शुरू नहीं किया है इसलिए ऐसी बात पैदा नहीं होती ।

श्री चांदमल मेहता—ट्रस्टियों के काम नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनकी इस काम को करने में दिलचस्पी कम मालूम होती है । उनको कहा गया कि चार्ज ले लो मगर उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं लिया और देवस्थान विभाग इस पर विचार कर रही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या उन्होंने यह मांग की है कि देवस्थान विभाग का अनुचित हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिये और वही उनको काम करने से रोकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—न तो उन्होंने मांग की है और न ऐसी मांग करने का उनको अधिकार ही हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने चार्ज ही नहीं लिया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि देवस्थान के कर्मचारी इस मन्दिर के रुपयों का दुरुपयोग करते थे और इसको बरबाद करते थे उसको ये लोग नहीं चाहते ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ट्रस्टियों ने रुपये का दुरुपयोग किया था और पहले एक कर्मचारी ने रुपयों का गबन किया था, इसलिए उसको हटा दिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—मौजूदा ट्रस्टियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है गड़बड़ करने की ।

श्री भोगीलाल पंड्या—चार्ज नहीं लेने की शिकायत जरूर है ।

श्री चांदमल मेहता—ये ट्रस्टी कब मुकर्रर हुए ।

श्री भोगीलाल पंड्या—२१-१-५४ को ।

श्री चांदमल मेहता—यदि ये चार्ज नहीं लेते तो दूसरों को चार्ज देने की सरकार सोच रही है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि वे चार्ज नहीं लेंगे तो इस पर विचार किया जावेगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या ट्रस्टियों की तरफ से देवस्थान के अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे पास तो नहीं आई ।

श्री चांदमल मेहता—देवस्थान कमिश्नर के पास आई ।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर आप अलग प्रश्न करें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पूरे गांव की आमदनी के कागजात उनको नहीं दिये गये जो दिये जाने चाहिये ताकि उसके सम्बन्ध में...

श्री भोगीलाल पंड्या—जब ट्रस्टियों ने चार्ज ही नहीं लिया तो बार बार यह प्रश्न पूछना उचित प्रतीत नहीं होता ।

श्री चांदमल मेहता—वे अपना चार्ज ले चुके हैं । चाहे यह बात सरकार के रेकर्ड पर नहीं हो ।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको जिसने जानकारी दी है वह गलत है । उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए ।

Page No.17

श्री अध्यक्ष—Questions are over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, आज का एजेन्डा नहीं आया है, तो क्या आज की कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष—कल जहां एडजोर्न हुआ था वहीं से आगे कार्यवाही होगी। आप शायद नहीं थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं कल था। कायदे के अनुसार तो एजेन्डा सर्कुलेट हो जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—कल का बाकी रह गया है, वहीं से आगे होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कल के सिवाय और कोई काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—No.

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १९५४

(विचारार्थ लेने सम्बन्धी अग्रेतर वाद-विवाद)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, कल इस सदन के सामने यह तय हुआ था कि जब हम ९॥ बजे यहा मिलें इस विषय में इन्फोर्मली बातचीत की जाय, दोनों पक्ष की ओर से और फिर कुछ निर्णय करके इस सदन के सामने आवें। कल हम लोगों की तरफ से यह सुझाव था कि यदि यह इमोल्युमेन्ट्स का सवाल सिलेक्ट कमेटी के सामने जाय तो यह मामला आसानी से साफ हो सकता है और सब तरह के पहलुओं पर उसमें विचार किया जा सकता है। तो आज इन्फोर्मली जो दोनों पक्षों में बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि अच्छा हो कि यह विषय सिलेक्ट कमेटी के सामने जाय; ऐसा तय हुआ और जो कुछ तय हुआ उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन के सामने रखेंगे। कौन मेम्बर होंगे, किस दिन लाएंगे इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया यह बतायें कि सिलेक्ट कमेटी के कौन २ सदस्य होंगे, कब यह लिया जायगा और कब विधान सभा दुबारा मिलेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, कल यह विधेयक सदन के सामने विचारार्थ था और विरोधी पक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए ताकि इसके हरएक पहलू पर विचार कर लिया जाय। एक बिल और भी उपस्थित है लेकिन वह छपा हुआ नहीं है और नियम के अनुसार जब तक कि छप कर प्रकाशित न हो तो वह बिल विचाराधीन उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है कि आप उस पर भी विचार करने के लिए सिलेक्ट कमेटी को, प्रवर समिति को यह काम सौंप सकते हैं।

हमने अनौपचारिक रूप से इस सारे प्रश्न को देखा है और हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि इस विधेयक पर एक प्रवर समिति बननी चाहिए, जो दीपावली के बाद, चूंकि अब तो कुछ

Page No.18

[श्री जयनारायण व्यास]

काम ज्यादा आज नहीं रहेगा और हाउस आज स्थगित हो जायगा इसलिए इसके बाद यानी दीपावली के बाद जब हम मिलें तो उसके एक दिन पहले वह कमेटी मिले और उस विधेयक के ऊपर साथ ही साथ दूसरा विधेयक, जिसमें कि इस बिल के उपर संशोधन है और जिसमें मेम्बर्स को मेडिकल, हाऊस, टेलीफोन की फेसीलिटिज़ की बातें हैं वह बिल भी आपकी विशेष आज्ञाओं से उस प्रवर समिति के सामने चला जाय और उन दोनों विधेयकों के ऊपर विचार करके वह प्रवर समिति एक दो दिन में, जब कि सदन की बैठकें चल रही हों, अपने विचार रख दें। इसलिए मैं श्री जवानमलजी जी द्वारा सुझाये हुए······

श्री **जवानसिंह**—मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वे मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें।

(हंसी)

श्री **जयनारायण व्यास**—यह जो गड़बड़ी शुरू हो रही है वह आपके साफा नहीं बांधने से हो रही है।

(हंसी)

श्री **जवानसिंह**—जिस दिन साफा बांधकर आता हूं उस दिन भी तो···

(हंसी)

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—केवल साफे की ही बात नहीं है, टोपी भी नहीं पहिनने से हो रहा है।

श्री **तनसिंह**— Association of ideas is also sometimes responsible for this.

(हंसी)

श्री **जयनारायण व्यास**—Conception about personalities also sometimes changes the nomencelature.

इसलिये मैं "I beg to move that the Bill further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1952, be referred to a Select Committee, consisting of the following names..."

[श्री जयनारायण व्यास]

जो मैं प्रस्तुत करूंगा। "The Committee may present its report..."

कितने दिनों में आप चाहेंगे ? Within three days ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Before the House adjourns,

श्री जयनारायण व्यास—Before the House adjourns.

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालक की नियमावली के नियम १२२ को राजस्थान विधान सभा पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में स्थगित करने का प्रस्ताव—

दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा, यदि वह भी इसके साथ ही कर दूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

I beg to move, "That the application of the proviso to Rule 122 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, in so far as it requires that copies of the Bill which have already been introduced shall be made available for use of the Members for three clear days before the day on which the motion is made in this respect, be suspended in respect of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Second Amendment Bill, 1954" जिसका मैंने अभी जिक्र किया था और जिसमें मेम्बर्स को सिर्फ मेडिकल हाउस, टेलीफोन फैसिलीटीज़ देने का है।

मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो विशेष आज्ञा····

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सब के कमरों में टेलीफोन लगेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—टेलीफोन की क्या फेसिलीटीज़ होंगी, वह तो सिलेक्ट कमेटी ही तय करेगी। सिलेक्ट कमेटी के डिसिज़न्स को मैं किसी तरह फोर्स नहीं करना चाहता।

अत: यह जो विशेष आज्ञा मांगी गई है, आज्ञा तो दे दी जाय और जो श्री जवानमलजी··

(हंसी)

श्री भवानसिंहजी का सुझाव है···

श्री अध्यक्ष—If the Member is so sensive then he will be called Jawan-Malji by all.

श्री जयनारायण व्यास—I am very sorry that H. K. Vyas will have to be removed to some other place because when I see his face I remember his grandfather whose name was Jawan Mal.

श्री हरिकृष्ण व्यास—बात यह है कि जवानमलजी का, दिमाग में, विशेष असर है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—वे तो सिनेमा प्रोप्राइटर थे।

श्री जयनारायण व्यास—सिनेमा प्रोप्राइटर का असर नहीं है बल्कि उनके वे ग्रांड फादर थे जिनसे मेरा अच्छा वास्ता था।

श्री जवानसिंह—What is the man doing ?

श्री जयनारायण व्यास—I had the idea of the man who has died and not who is living.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनका घोस्ट (Ghost) आपको haunt करता है।

(हंसी)

श्री जयनारायण व्यास—He is in peace, no ghost is haunting me.

श्री जवानसिंह—He is in Heaven and in peace.

श्री जयनारायण व्यास—मैं आशा करता हूं कि ये दोनों मिली-जुली जो दरख्वास्तें हैं........

श्री अध्यक्ष—दूसरा भी मूव कर दीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने मूव कर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह इन्ट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। पहले इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत मांगें, फिर आज्ञा की कार्यवाही होगी।

श्री जयनारायण व्यास—इन्ट्रोड्यूस यह पहले हो चुका है। सिर्फ छपा नहीं है, इसलिए विशेष आज्ञा मांगी गई है। इसके बारे में चर्चा की कोई जरूरत नहीं है सिवाय इसके के श्री जवानसिंहजी को, जवानमलजी कहा जिसका मुझे अफसोस है····

(कुछ विराम के अनन्तर)

[श्री जयनारायण व्यास]

मैंने सिलेक्ट कमेटी में नाम रखे हैं लीडर ऑफ अपोजीशन से बात करके। नाम यह हैं :

१. जयनारायण व्यास, चेयरमेन
२. श्री टीकाराम पालीवाल
३. श्री दामोदरलाल व्यास
४. श्री तेजमल बाफना
५. कुं० श्री जसवन्तसिंह
६. श्री हिम्मतसिंह अटरू
७. श्री गोपीलाल यादव
८. एडवोकेट जनरल।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसमें भैरोंसिंहजी का भी नाम रख दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—That is in an indirect way.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मेरे नाम की जगह भैरोंसिंहजी का नाम रख दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह—मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि होस्टल में जो माननीय सदस्य रहते हैं उनको सब तरह की फेसिलिटिज़ हैं, अतः इसमें किसी ऐसे मेम्बर को भी रखा जाय जो होस्टल में नहीं रहता हो।

श्री जयनारायण व्यास—श्री गोपीलालजी यादव का नाम इसी ख्याल से रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—किसी को कोई एतराज हो तो मैं पहले उनको बोलने का मौका देना चाहता हूं, not about the personel......

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री मुक्तिलाल मोदी का नाम इसमें शामिल कर लिया जाय क्योंकि ऐसे अनुभवी आदमियों की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—The Question of English knowing will come in.

(विराम)

Page No.22

[श्री अध्यक्ष]

रूल ११६ प्रोवोक करने के बारे में किसी को कोई एतराज हो तो मैं उस एतराज को जानना चाहता हूँ।

(आवाज "किसी को एतराज नहीं")

सारे मेम्बरों का यही इन्टरेस्ट है कि मैं रूल ११६ को प्रोवोक कर दूं। और १२२ के सिलसिले में जो कुछ भी फोर्मेलिटी रह गई हैं; इसमें कोई बाधा नहीं पहुँचायगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

(मुख्य मन्त्री को संबोधित करते हुए), क्या इसको आपकी तरफ से समझ लिया जाय।

श्री जयनारायण व्यास—(in consultaion with the Leader of Opposition) मेरा ही समझ लिया जाय, चूंकि हम दोनों ने मिलकर दिया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—As amended by the Chief Minister.

श्री जवानसिंह—मैं सदन से अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री जवानमलजी को अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय। (हंसी)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—It appears ta be an infectous disease.

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that...

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, मेरा ऐसा खयाल है कि पहले मुख्य मंत्री को अपना ओरीजिनल मोशन वापिस लेने की अनुमति दी जाय जो कि उन्होंने कन्सीडरेशन के लिए रखा था।

श्री अध्यक्ष—जरूरत नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—This amendment is a stage of consideration.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य मन्त्री ने इन दो विधेयकों के बारे में रखा है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ओफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट बिल, १६५४...

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, दोनों का एक साथ निर्णय नहीं कर सकते। पहला विधेयक संबन्धी प्रस्ताव जो कि मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया था कि इसको विचारार्थ लिया जाय क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने संबन्धी प्रस्ताव को तो वापिस ले लिया है। तो इससे पोज़ीशन वापिस उसी स्टेज पर रिवर्ट हो जाती है।

दूसरा विधेयक इन्ट्रोड्यूस किया है सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये। दोनों का निर्णय एक साथ देना कठिन है जब तक कि पहले को विथड्रा नहीं कर लिया जाता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— Sir, as the resolution has already been with-drawn, and in substitution of that he says that both the old one as well as the new one should go to the Select Committee, then how will the original stand now? The original has been amended by him, the original has been withdrawn.

श्री अध्यक्ष—आपको जो यह दिक्कत है कि जब कि इस बिल को कन्सीडरेशन के लिये मूव कर दिया है तो पहले उसको वापिस लिया जाना चाहिये, यह ठीक नहीं है। कोई भी बिल होता है उसको पहले कन्सीडरेशन के लिये मूव किया जाता है और उसके बाद ही सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, अतः आपका जो ख्याल है वह ठीक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेम्बर खुद जो बिल को मूव करता है अगर वही सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव करता है तो यह आवश्यक है।

श्री जयनारायण व्यास— It is a stage of consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास— If the member himself moves for consideration, he does not move for Select Committee.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट बिल १९५४, यह फर्स्ट अमेन्डमेन्ट बिल जो है, कल जिसके ऊपर बहस हुई और सेकिंड अमेन्डमेन्ट बिल जिसको इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया किन्तु

[श्री अध्यक्ष]

इसकी छपी हुई प्रतियें माननीय सदस्यों को नहीं पहुँची है, इसलिये इन दोनों को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, नाम इस प्रवर समिति के सदस्यों के इस प्रकार हैं :

श्री जयनारायण व्यास, चेयरमेन

श्री टीकाराम पालीवाल

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री तेजमल बाफना

कुं श्री जसवन्तसिंह

श्री हिम्मतसिंह

श्री गोपीलाल यादव

श्री एडवोकेट जनरल

प्रवर समिति नेक्स्ट सेशन के एडजोर्न होने के पूर्व इसकी रिपोर्ट पेश करे। इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(कुछ विराम के अन्तर)

(श्री मुख्य मंत्री से) वापिस कब से बुलाया जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—दो तारीख को सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुला लें, उसके बाद तीन तारीख से रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इस सदन को ३ नवम्बर तक के लिए सुबह आठ बजे...

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इसके पहले कि हम यहां से उठें मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। वह यह कि जो टिनेन्सी बिल का थर्ड रीडिंग हम आने वाले सेशन में करने वाले हैं यह आवश्यक है कि सेशन के शुरू होने के पांच दिन पहले उस बिल की एक अमेन्डेड कॉपी हर.एक मेम्बर को मिलनी चाहिये। अत: मेरा यह निवेदन है कि सदन की तिथि निश्चित करने से पहले यह जरूर विचार लिया जाय कि अमेन्डेड कॉपी हमें सेशन की शुरूआत के चार रोज पहले मिले, नहीं तो हम थर्ड रीडिंग को जज नहीं कर पायेंगे। तिथि नियत की जाय, उस समय यह भी विचार करने की मेरी दरख्वास्त है।

श्री अध्यक्ष—Under what rule the Hon'ble Member is demandig this?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am making a request under no rule, but under the normal procedure of conveying the desire of the Members to the Hon'ble Speaker for facilitating the work of the Assembly.

श्री अध्यक्ष—I am bound to give any promise on the flor of the House under the Rules only, but the special facilities which are likely to go or possibly go againest rules, Ihave nothing to say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्योंकि इस बिल की लास्ट स्टेज तक अमेन्डमेंट मूव हुए हैं, ऐसी स्थिति में किसी माननीय सदस्य के सामने इसकी अमेन्डेड पिक्चर नहीं है। अतः अमेन्डेड बिल का होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—Only the Members have moved those.

श्री हरिकृष्ण व्यास— Some anendments to the amedments were moved here on the spot and then to those amendments some words were subtracted and some words were added. In this way the ideas were changed and the language has been referred to the Law Department for final correction.

ऐसी स्थिति में बहुत कठिन होगा, समय कम से कम मिले थर्ड रिडिंग के पहले।

श्री अध्यक्ष— So we adjourn to 3rd at...

(विराम)

In the morning at 8. 00 or 4.00 ? What is the wish of the House.

(सदन में 'चार बजे' की आवाज)

At 4. 00 P. M. and we now finish the business, But I want to detain the Hon'ble Members of this House in an informal meeting which I would like to address. It is not confidential. The press and the visitors may go or stay as they like.

(सभा की कार्यवाही मध्यान्ह १० बज कर २० मिनट पर दिनांक ३ नवम्बर, १९५४ के ४ बजे मध्यान्होत्तर तक के लिये स्थगित हुई)

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२१-अक्टूबर, १९५४.